| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.49/2023 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|
| 17.4.2023 | पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सुमित कुमार विश्वकर्ता पुत्र श्री शंकरलाल विश्वकर्मा, निवासी– प्लाट नं. 76, गांधीनगर, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म खण्डेलवाल नमकीन हाउस, नुरानी कॉम्पलेक्स, पारसीचाल, आबूरोड़, जिला– सिरोही अनुपस्थित।<br>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 05.2.2022 को फर्म खण्डेलवाल नमकीन हाउस, नुरानी काम्पलेक्स, पारसीचाल, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुमित कुमार विश्वकर्मा से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1653 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./417/Act/2022/411 दिनांक 21.02.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.4.2023 को प्रतिवादी सुमित कुमार विश्वकर्मा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को दिनांक 12.4.2023 को ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि उसने दुकान बन्द कर दी है। उसने रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) को दूसरी फर्म से क्रय किया था, लेकिन उसका बिल कहीं गुम हो गया है। मिथ्याछाप खाद्य सामग्री का निर्माण करने हेतु निर्माता जिम्मेदार है, इसलिये प्रतिवादी को इस प्रकरण से मुक्त करावे।<br>हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) दिनांक 05.2.2022 को समय 01.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म खण्डेलवाल नमकीन हाउस, नुरानी काम्पलेक्स, पारसीचाल, आबूरोड़, जिला– सिरोही [illegible] गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से सुमित कुमार विश्वकर्ता पुत्र शंकरलाल विश्वकर्ता निवासी– प्लाट नं. 76, गांधीनगर, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित [illegible] जो आम जनता को<br>.....लगातार | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:12 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.49/2023 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|
| | खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) बेचता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता सुमित कुमार विश्वकर्ता को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) के 45 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) के 4 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक एक किलोग्राम) वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 560/– (अक्षरे रुपये पांच सौ साठ मात्र) प्रतिवादी सुमित कुमार विश्वकर्मा को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1653, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये और खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) के चारों नमूना पैक्ड कंटेनर पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1653 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार [illegible] अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कार्यालय में पॅहुचकर [illegible] VI की प्रतियां तैयार की व उस [illegible] की<br>......लगातार | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:12 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.49/2023 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|

गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दिनांक 07.2.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री अमर सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 05.2.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा फर्म खण्डेलवाल नमकीन हाउस, नुरानी कॉम्पलेक्स, पारसीचाल, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुमित कुमार विश्वकर्मा से खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1653 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./417/Act/2022/411 दिनांक 21.2.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुमित कुमार ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि फर्म खण्डेलवाल नमकीन भण्डार, नुरानी हाउस, पारसीचाल, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी सुमित कुमार विश्वकर्ता ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 [illegible] किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के त[illegible] योग्य अपराध है।

अतः [illegible] 2006 की धारा 68 की उपधारा [illegible] अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ख[illegible] सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

........लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:12 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No.49/2023 | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए |
|---|---|---|
| | 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (ऋषभ ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी सुमित कुमार विश्वकर्ता पुत्र श्री शंकरलाल विश्वकर्मा, निवासी– प्लाट नं. 76, गांधीनगर, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म खण्डेलवाल नमकीन हाउस, नुरानी कॉम्पलेक्स, पारसीचाल, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी सुमित कुमार शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल विश्वकर्मा, निवासी– प्लॉट नपं. 76, गांधीनगर, आबूरोड़, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उस पर आरोपित शास्ति (जुर्माना) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 17.5.2023 को पेश हो।<br><br>(के.आर.खौड) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:12 IST
Reason: SelfAttested